

मध्यप्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक.एफ.3-58/2012/बी-3/दो,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /10/2013

पुलिस महानिदेशक,  
पुलिस मुख्यालय  
भोपाल।

विषय:-12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के अंतर्गत 5 बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन एवं संसाधनों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति।

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के अंतर्गत 5 बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन एवं संसाधनों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 30.08.2013 में की गई अनुशंसाओं के अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है :-

- (1) पांच बड़े शहरों अर्थात् इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन में यातायात प्रबंधन एवं संस्थानों से सम्बंधित परियोजना पर सैद्धान्तिक सहमति दी जाती है।
- (2) वर्ष 2013-14 के बजट में इस परियोजना के लिए उपलब्ध प्रावधान की सीमा के अंदर परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमति दी जाती है, इसी परिप्रेक्ष्य में राशि रूपये 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।
- (3) आगामी चरणों की परियोजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।
- (4) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ समन्वय करते हुए उज्जैन शहर के यातायात प्रबंधन के घटक को सिंहस्थ परियोजना में वित्त पोषण हेतु यथासंभव शामिल कराया जाए।
- (5) परियोजना में सूचना प्रौद्योगिकी का सघन उपयोग हो, इसके क्रियान्वयन के पूर्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से परामर्श किया जाये।
- (6) अंतरविभागीय समन्वय द्वारा आगामी 10 वर्षों में निर्मित होने वाली सड़कों में यातायात इंजीनियरिंग एवं यातायात जागरूकता के अभियान के घटकों पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यातायात इंजीनियरिंग के घटकों पर संभावित अतिरिक्त व्ययभार का पोषण संबंधित सड़क निर्माण परियोजना में यथासंभव सम्मिलित किया जाये।

//2//

- (7) संपूर्ण यातायात व्यवस्था पैदल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित की जाए।
- (8) दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर बचाव के सभी उपाय किये जाएं।
- (9) चौराहों पर लगे ट्राफिक सिगनल्स पर एडवर्टाईजमेन्ट होने से ध्यान बटता है। इस हेतु लोक निर्माण विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग गाइडलाइन तैयार कर क्रियान्वित करें।
- (10) अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर रोड साइनेज डिस्पले के गाइडलाइन लोक निर्माण विभाग तैयार करें। इसका उपयोग नगरीय निकायों के साथ-साथ सड़को के निर्माण एवं संधारण के लिए नियुक्त सभी प्रशासनिक विभाग एवं एजेन्सियों करें।

2/ उक्त व्यय मांग संख्या 03-2055-0101-राज्य आयोजना (7186)-बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था प्रबंधन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओओ क्रमांक 1122/1331/ब-8/चार/13दि 17.10.13 के अनुक्रम में जारी की जाती है।

म0प्र0के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

भोपाल, दिनांक 28/10/2013

पृ.क्रमांक.एफ.3-58/2012/बी-3/दो,  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर।
  2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
  3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास/सूचना एवं प्रौद्योगिकी/लोक निर्माण विभाग।
  4. सचिव, समन्वय मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव, कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
  5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 निर्वाचन सदन 17 अरेरा हिल्स भोपाल।
  6. अति० पुलिस महानिदेशक (वि०स०बल) पुलिस मुख्यालय भोपाल।
  7. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश पर्यावास भवन भोपाल।
  8. संबंधित कोषालय अधिकारी..... मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग